सामान्य

प्रश्न– सुना है दि0 1.3.2013 से वाणिज्य कर विभाग की सभी बार्डर चैक पोस्ट एवं रेलवे जांच चौकी समाप्त हो रही हैं। चैक पोस्ट समाप्ति के बाद राज्य के बाहर से माल लाने के लिए क्या करना होगा?

उत्तर– जी हां। यह सच है कि दि0 01 मार्च, 2013 से वाणिज्य कर विभाग की सभी चैक पोस्ट समाप्त हो रही है। चैक पोस्ट समाप्ति के बाद आपको माल से सम्बन्धित कागजात/फार्म–16 आदि किसी जांच चौकी पर रूककर पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको अपने माल का विवरण वाणिज्य कर विभाग की वैब साइट में दर्ज कर ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास बनाना होगा और उसके प्रिन्ट आउट, माल के प्रपत्र व फार्म–16 की मूल प्रति के साथ मालवाहक वाहन को राज्य में प्रवेश कराना होगा। वाणिज्य कर अधिकारियों के मांगे जाने पर ही आपको उक्त प्रपत्र दिखाने होंगे।

प्रश्न – मैं अपनी दुकान या कम्पनी के लिए प्रदेश के बाहर से माल लाना चाहता हूं? मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर– अब आपको प्रदेश के बाहर से माल आयात करने के लिए इन्टरनेट के माध्यम से यात्रा विवरण या ट्रिप शीट बनाना है। यह बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको वाणिज्य कर विभाग की वैबसाइट ***http://comtax.uk.gov.in*** या इस हेतु निर्धारित पेज ***http://comtaxappl.uk.gov.in/gm_module*** पर जाना है, वहां अपने वाहन को रजिस्टर करना है और फिर दिये गये निर्देशों के अनुसार माल का विवरण दर्ज कर ट्रिप शीट का प्रिन्ट आउट लेना है और फिर इसके साथ मूल रूप में फार्म–16, बिल/चालान आदि लेकर उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना है।

प्रश्न– मुझे इन्टरनेट के माध्यम से ट्रिप शीट या बहती बनानी है। मैं यूजर आई0डी0 और पासवर्ड कैसे प्राप्त करूं?

उत्तर– आपको ई–ट्रिप शीट या ई–ट्रांजिट पास बनाने हेतु किसी भी यूजर आई0डी0 या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र अपने मालवाहक वाहन की कुछ डीटेल्स को इन्टरनेट में फीड करके वाहन का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराना है। इसके बाद आप जब चाहें ट्रिप शीट या ट्रांजिट पास बनवा सकते हैं।

प्रश्न– वाहन का पंजीकरण कराने हेतु मुझे किन–किन प्रपत्रों/दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

उत्तर– अरे नहीं। यह किसी कार्यालय में कराया जाने वाला पंजीयन नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी प्रपत्र/दस्तावेज या फोटोग्राफ की आवश्यकता नहीं है। आपको मालवाहक वाहन से संबंधित मात्र कुछ

सूचनाओं मसलन– इंजिन नम्बर, चेसिस नम्बर, वाहन स्वामी का नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि को ''सिक्योरिटी कोड'' के साथ वैबसाइट पर दर्ज करना है। यही कार्यवाही वाहन का पंजीकरण है।

प्रश्न– यह ''सिक्योरिटी कोड'' क्या है? और इसे कैसे प्राप्त करना है?

उत्तर– वैबसाइट में वाहन का पंजीयन कराते समय आपको अपना मोबाईल नम्बर फीड करना होता है। मोबाइल नम्बर फीड करने के कुछ ही क्षणों में आपको अपने मोबाईल पर एस0एम0एस0 के जरिये एक कोड प्राप्त होता है, जिसे आपने कम्प्यूटर पर दर्ज करना होता है। यही सिक्योरिटी कोड है।

प्रश्न– क्या इसकी कोई फीस है?

उत्तर– नहीं। इसकी कोई फीस नहीं है। यह बिल्कुल *फ्री है।*

प्रश्न– मैंने अपना वाहन एक बार रजिस्टर करा लिया है। क्या दूसरी बार माल लाने पर इसे फिर से रजिस्टर कराने की आवश्यकता होगी?

उत्तर– यदि आपने अपना मालवाहक वाहन एक बार रजिस्टर करा लिया है तो तीन माह के भीतर इसी वाहन से दुबारा माल लाने पर आपको पुनः रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हां आपको यह सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास एक से अधिक वाहन हैं तो आप एक बार सभी वाहनों का पंजीकरण करा लें जिससे कि माल आयात करते समय आपको इसकी आवश्यकता न पड़े।

प्रश्न– एक बार रजिस्ट्रेशन के पश्चात् मैं उस वाहन से कितनी बार माल ला सकता हूं?

उत्तर– एक बार रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् आप बिना किसी रूकावट के कितनी ही बार प्रदेश के बाहर से माल उत्तराखण्ड राज्य में ला सकते हैं।

प्रश्न– मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, क्या मुझे यूजर आई0डी0 और पासवर्ड की आवश्यकता होगी?

उत्तर– नहीं। आपको किसी यूजर आई0डी0 या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। आपने मात्र वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर ट्रिप शीट तैयार करके ही माल को राज्य के अन्दर प्रवेश कराना है।

प्रश्न– मैंने माल से संबंधित सभी सूचनाएं वाणिज्य कर की वैबसाइट पर दर्ज कर दी हैं। क्या मुझे इसका प्रिंट आउट भी लेकर चलना होगा?

उत्तर– हां। आपको अनिवार्य रूप से ट्रिप शीट या ट्रांजिट पास का प्रिन्ट आउट लेकर चलना है।

प्रश्न– मेरा पुराना मोबाईल नम्बर कहीं खो गया। मैं इसे बदलना चाहता हूं। क्या करूं?

उत्तर– न सिर्फ मोबाईल नम्बर, बल्कि आप वाहन से संबंधित कुछ अन्य विवरण मसलन– वाहन स्वामी का नाम, इंजिन नम्बर आदि किसी भी समय बदल सकते हैं। इसके लिए आपको वाणिज्य कर विभाग की

वैबसाइट में जाकर वाहन सं0 तथा चैसिस नं0 दर्ज करके लॉगइन करना है। लॉगइन करने के उपरांत आपको चेंज यूअर वैहिकिल डीटेल का ऑप्शन मिलता है, जिसपर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से मोबाईल न0 आदि विवरण बदल सकते हैं।

प्रश्न– वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन की जांच करने पर क्या–क्या प्रपत्र दिखाने जरूरी होंगें?

उत्तर– ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास के साथ–साथ आयात घोषणा–पत्र(फार्म–16), बिल/चालान आदि अन्य प्रपत्र मूल रूप में दिखाने आवश्यक हैं।

प्रश्न– मैं ट्रांसपोर्टर हूँ व्यापारी के माल के सम्बन्ध में मेरी क्या जिम्मेदारी है?

उत्तर– आपको व्यापारियों से प्राप्त माल का विवरण ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर ई–ट्रांजिट पास या ई–ट्रिप शीट तैयार करना है और इसका प्रिन्ट आउट, माल से संबंधित समस्त प्रपत्र मूल रूप में यात्रा के दौरान वाहन के साथ रखने हैं। सचल–दल अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सभी प्रपत्र दिखाने हैं।

प्रश्न– वाहन पंजीकृत करने के कितने समय के भीतर मुझे माल लाना अनिवार्य है? क्या एक निश्चित समय के भीतर माल न लाने पर पंजीयन समाप्त हो जाता है?

उत्तर– इसकी कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। एक बार वाहन का पंजीयन होने के उपरान्त आप कभी भी ई–ट्रिप शीट अथवा ई–ट्रांजिट पास बनाकर अपने वाहन में माल ला सकते हैं। पंजीयन समाप्ति का कोई प्राविधान नहीं किया गया है।